परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/आर.एफ.आई.डी. टैग/कम्प्यूटर परि0सं0 1920050 / 1412 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 30 सितम्बर , 2019

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0),

असिस्टेन्ट कमिश्नर (सचलदल),

वाणिज्य कर अधिकारी(सचलदल),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: जोन में चिन्हित ट्रान्सपोर्टर्स के वाहनों पर आर.एफ.आई.डी. टैग के सम्बंध में ।

प्रदेश के प्रत्येक जोन में माल के परिवहन की सेवा प्रदान करने वाली गुडस ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी में से कुछ एजेन्सी को चिन्हित करते हुए सूची मुख्यालय उपलब्ध कराई गई है । चिन्हित ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी के नाम से कितने वाहन सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत हुए हैं, का कोई विवरण जोन अथवा मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। चिन्हित ट्रान्सपोर्ट एजेन्सियों द्वारा माल के परिवहन में प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों का विवरण प्राप्त करते हुए प्रत्येक ऐसे वाहन पर आर.एफ.आई.डी. टैग जड़ा होना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जोन द्वारा जोन में चिन्हित ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी के वाहनों का पूर्ण विवरण प्राप्त करते हुए सम्बंधित सूची की साफट कॉपी सचल दल अनुभाग मुख्यालय पर दिनॉक 31-10-2019 तक ई-मेल से प्रेषित की जाय।

चिन्हित ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी के वाहनों एवं इन एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे अन्य वाहनों पर आर.एफ.आई.डी. टैग जड़ा होना भी सुनिश्चित किया जाना है। अतः रोड चेकिंग के दौरान ऐसे जिन वाहनों पर टैग जड़ा न हो उस पर प्रत्येक दशा में टैग जड़वाना सुनिश्चित किया जाय ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।